

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 23, शुक्रवार, शाके 1947- नवम्बर 14, 2025 Kartika 23, Friday, Saka 1947- November 14, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इंदिरा गांधी नहर विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2025

संख्या एफ 3(1) इगानवि/भू.अ./2025 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पन्नालाल बारूपाल (गजनेर) लिफ्ट नहर की कानासर वितरिका किमी 19.265 से 27.000 किमी तक के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता 20वां खण्ड इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 4(6) के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी इ.गा.न.प., बीकानेर को उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न-सूची

आज्ञा से,

अमरजीत सिंह,

शासन उप सचिव,

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर।

विवरण

फॉर्म-2

(देखे नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशायी अभियन्ता 20वां खण्ड इगानप बीकानेर
(क)	प्रस्तावित प्रयोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम पंचायत नाल बड़ी के क्षेत्र में कानासर वितरिका किमी 19.265 से 27.000 का निर्माण कार्य खातेदार 67.589 है., गै.मु. 9.928 है., अराजीकाज 2.53 है., कुल 80.047 है.
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा-2(1) के अंतर्गत लागू नहीं है
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड.)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधि जानकारी	अधिशायी अभियन्ता 20वां खण्ड इगानप बीकानेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।